

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

244 of
2017 B.A

| Date of order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|-----------------------------|--|--|
| 01/07/2017 | <p>आवेदक/आरोपी वीरेन्द्र शिवहरे की ओर से श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता ने शीघ्र सुनवाई का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। कारण देखते हुए सत्र प्रकरण क्र०-107/2016 को सुनवाई में लिया गया।</p> <p>आवेदक वीरेन्द्र शिवहरे की ओर से जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-439 जा०फौ० का मेमो तथा दिनेश के शपथपत्र सहित पेश किया, नकल अभियोजन को दिलाई गयी।</p> <p>जमानत आवेदनपत्र प्रथक से दर्ज किया जावे।</p> <p>जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक/आरोपी वीरेन्द्र शिवहरे का इस प्रकरण में गिरफ्तारी वारण्ट जारी है और वह अभिरक्षा में नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में धारा-439 द.प्र.सं. के प्रावधान आकर्षित न होने से आवेदनपत्र पोषणीय न होने से निरस्त किया जाता है।</p> <p>इस आदेश की सत्य प्रतिलिपि मूल सत्रवाद प्रकरण में संलग्न की जावे।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड म०प्र०</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)